

क्रमांक 13/5/88-2 जी०एस०-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
2. आयुक्त, भम्बाला, रोहतक, गुड़गांव व हिसार मण्डल ।
3. सभी उपायुक्त व उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा ।
4. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक 3 दिसम्बर, 1993 ।

विषय :--

परीक्षा द्वारा लिपिकों को सहायक के पदों पर पदोन्नति ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर सरकार के परिपत्र क्रमांक 13/5/88-2 जी०एस०-II, दिनांक 6-7-1992 की ओर दिलाऊँ और कहूँ कि सरकार ने पुनः विचार के पश्चात् यह निर्णय लिया है कि हरियाणा राज्य सहायक ग्रेड परीक्षा नियम, 1992 को रद्द कर दिया जाएँ । अतः कथित नियमों को जारी होने की तिथि से ही रद्द समझा जाए ।

हस्ता/—

श्रवर सचिव, सामान्य प्रशासन,  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति सभी वित्तायुक्तों/आयुक्तों एवं सचिवों, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है ।

हस्ता/—

श्रवर सचिव, सामान्य प्रशासन,  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार तथा  
सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

प्रशा: क्रमांक 13/5/88-2 जी०एस०-II

दिनांक 3 दिसम्बर, 1993.

प्र०क्र० 13/5/88-2 जी०एस०-II

दिनांक 3 दिसम्बर, 1993.

एक प्रति निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है ।

हस्ता/—

श्रवर सचिव, सामान्य प्रशासन,  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।